सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 02, मगंलवार, शाके 1943-नवम्बर 23, 2021

Agrahayana 02, Tuesday , Saka 1943- November 23, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, नवम्बर 22, 2021

संख्या प.4(1)वित्त/आब/2021 :-आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के बिन्दुसंख्या 3.1.6 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा आपूर्ति के लिये राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम अनुपात 40 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लान्ट का संयुक्त रूप से न्यूनतम अनुपात 60 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लान्ट का हिस्सा न्यूनतम 12 प्रतिशत रखे जाने का प्रावधान है। वर्ष 2006-07से लगातार प्रत्येक वर्ष की आबकारी एवं मद्य संयम नीति में उपर्युक्तानुसार राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स एवं निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लान्ट हेतु विभिन्न अनुपातों बाबत् प्रावधान रहा है जिसको अनुज्ञाधारियों द्वारा निरन्तर अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया जाता रहा है तथापि माननीय उच्च न्यायालय में कतिपय अनुज्ञाधारियों द्वारा इस प्रावधान बाबत् याचिका दायर की गई है। अतः उपर्युक्त प्रावधान को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने हेतु आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2021-22के बिन्दू संख्या 3.1.6 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक (Proviso) जोडा जाता है:-

''देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आपूर्ति का अनुपात जो राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का हिस्सा होगा वह हिस्सा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा समय-समय पर क्षेत्रवार तय किया जायेगा जो कि अधिकतम 40 प्रतिशत होगा एवं जो अनुपात संस्थान का निर्धारित किया गया है उसका उठाव अनुज्ञाधारियों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा''

उक्त परन्तुक (Proviso) दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी रहेगा।

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

9983

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।